

6ठी लघु सिंचाई गणना

संदर्भ वर्ष: 2017-18

ग्राम अनुसूची

I. पहचान विवरण:

(क)राज्य: _____ कोड (ख)जिला: _____ कोड

(ग)ब्लॉक/तहसील: _____ कोड (घ)ग्राम: _____ कोड

अनुसूची भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): - -

II. विशिष्ट जानकारी:

1. क्या ग्राम जनजातीय/ गैर-जनजातीय है? कोड

जनजातीय-1 गैर-जनजातीय-2

2. (क) क्या ग्राम के अंदर बड़ी/ मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना उपलब्ध है? कोड

हां - 1 नहीं - 2

(ख) यदि हाँ तो उस बड़ी/ मध्यम सिंचाई परियोजना का नाम: _____

(टिप्पणी: इस अनुसूची के मद संख्या 3 से 7 तक की जानकारी ग्राम दस्तावेजों के आधार पर भरी जायेगी)

3. भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्णांक में हेक्टेयर

4. कृषि योग्य क्षेत्रफल पूर्णांक में हेक्टेयर

5. शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल पूर्णांक में हेक्टेयर

6. सकल (कुल) सिंचित क्षेत्रफल (मौसम के अनुसार) (सभी स्रोतों द्वारा)

(i) खरीफ मौसम के दौरान

पूर्णांक में हेक्टेयर

(ii) रबी मौसम के दौरान

पूर्णांक में हेक्टेयर

(iii) बारहमासी फसलों के लिए

पूर्णांक में हेक्टेयर

(iv) अन्य मौसम के दौरान

पूर्णांक में हेक्टेयर

(v) सकल (कुल) सिंचित क्षेत्रफल [6(i)+6(ii)+6(iii)+6(iv)]

पूर्णांक में हेक्टेयर

7. शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (सभी स्रोतों द्वारा)

पूर्णांक में हेक्टेयर

8. औसत भूजल स्तर (मीटर में)

(i) (मानसून के पूर्व) मीटर

(ii) (मानसून के बाद) मीटर

9. क्या जल उपयोग संगठन गांव में मौजूद है?

हां - 1 नहीं - 2 मालूम नहीं - 3

कोड

10. गांव में भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर जल निकायों की संख्या का संक्षिप्त विवरण:

तालाब	हौज	झील	जलाशय	जल सरक्षण योजना/ रिसाव हौज/ चेक डैम	अन्य	योग (कॉलम 1 से 6 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11. गांव में भरी गई सभी अनुसूचियों के आधार पर लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या का संक्षिप्त विवरण:

(i) भूजल इकाईयों की संख्या

(ii) सतही जल इकाईयों की संख्या

(iii) कुल योजनाओं की संख्या

टिप्पणी (यदि कोई हो):

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर:

अन्वेषक का हस्ताक्षर:

पर्यवेक्षक का नाम:

अन्वेषक का नाम:

पर्यवेक्षक का पदनाम:

अन्वेषक का पदनाम:

मोबाइल नं. :

मोबाइल नं.:

**जल निकायों की गणना
शहरी अनुसूची**

I. पहचान विवरण:

(क)राज्य: _____ कोड (ख)जिला: _____ कोड

(ग)शहर/नगरपालिका: _____ कोड

अनुसूची भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): - -

II. विशिष्ट जानकारी:

1. शहर/नगरपालिका में वार्डों की कुल संख्या:

2. भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर वार्ड अनुसार जल निकायों की संख्या

क्र. सं.	वार्ड सं.	तालाब	हौज़	झील	जलाशय	जल संरक्षण योजना/ रिसाव हौज़/ चेक डैम	अन्य	योग (कॉलम 3 से 8 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
...								
योग								

*आवश्यकता होने पर अलग शीट जोड़ें

टिप्पणी (यदि कोई हो):

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर:

पर्यवेक्षक का नाम:

पर्यवेक्षक का पदनाम:

मोबाइल नं. :

अन्वेषक का हस्ताक्षर:

अन्वेषक का नाम:

अन्वेषक का पदनाम:

मोबाइल नं.:

जल निकायों की गणना

जल निकाय अनुसूची

ग्रामीण- 1/ शहरी- 2

I. पहचान विवरण:

(क) राज्य: _____ कोड

(ख) जिला: _____ कोड

ग्रामीण क्षेत्र के लिए:

(ग) खंड/तहसील: _____ कोड

(घ) ग्राम: _____ कोड

शहरी क्षेत्र के लिए:

(ण) शहर/नगर पालिका: _____ कोड

(च) वार्ड नम्बर: _____ कोड

जल निकाय की क्रम संख्या (गांव/ शहर में वार्ड के भीतर) _____ कोड

अनुसूची भरने की तारीख (दिना/माह/वर्ष): _____ कोड

जल निकाय के लिए अनन्य (यूनीक) पहचान कुंजी (यदि शहरी क्षेत्र है तो नगर का कोड और वार्ड का नं. दें)

आर/यू	राज्य	जिला	तहसील/नगर/ब्लॉक	ग्राम/वार्ड	क्र. सं.

II. विशिष्ट जानकारी :

1.1 (अ) जल निकाय का नाम (यदि कोई हो), विशिष्ट स्थायी सीमाचिह्न के साथ: _____

1.1 (ब) बेसिन और सब बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थित है _____

बेसिन कोड

सब बेसिन कोड

1.2 (क): जल निकाय का प्रकार:

तालाब -1, हौज़ -2, झील -3, जलाशय -4, जल संरक्षण योजना / जलरिसाव हौज़/ चेक डैम -5, अन्य -9

(ख): यदि मद 1.2 (क) में 'अन्य' है तो भंडारण की प्रकृति: _____

1.3 खसरा नं./ प्लॉट नं. / सर्वे नं. जिसमें जल निकाय स्थित है: _____

2. अक्षांश (डिग्री, मिनट, सेकंड में)

डिग्री	मिनट	सेकंड
डिग्री	मिनट	सेकंड

3. देशांतर (डिग्री, मिनट, सेकंड में)

4. क्षेत्र जिसमें स्थित है:

डीपीएपी- 1, जनजातीय- 2, डीडीपी- 3, बाढ़ प्रभावित -4, नक्सल प्रभावित क्षेत्र- 5, अन्य- 9

कोड

5. स्वामित्व:

राज्य डबल्यूआरडी/ राज्य सिंचाई- 1, सहकारी- 2, पंचायत- 3, नगरपालिका प्राधिकरण- 4,

अन्य सरकारी संस्था -5, व्यक्तिगत- 6, व्यक्तियों का समूह- 7, अन्य निजी निकाय -9

कोड

6(1). क्या जल निकाय उपयोग में है?: हां - 1 नहीं - 2

कोड

6(2). अगर उपयोग में है यानि ऊपर मद 6 (1) में कोड 1, तब उपयोग:

सिंचाई- 1, औद्योगिक- 2, मत्स्य पालन- 3, घरेलू / पेयजल- 4,

मनोरंजन- 5, धार्मिक- 6, भूजल रिचार्ज- 7, अन्य- 9

कोड

कोड

कोड

(वरीयता के क्रम में तीन कोड तक)

6(3). यदि जल निकाय सिंचाई के लिए प्रयोग में है, यानि मद 6(2) में कोड 1 है:

जल निकाय का सीसीए (CCA)

जल निकाय का आईपीसी (IPC)

						हेक्टर
						हेक्टर

कोड

6(4). अगर उपयोग में नहीं है यानि मद 6 (1) में कोड 2, तो कारण बताएं:

सूख गया- 1, निर्माण- 2, गाद- 3, मरम्मत से परे नष्ट- 4, लवणता- 5,

औद्योगिक अपशिष्ट के कारण- 6, अन्य- 9

7(1). प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार:

प्राकृतिक- 1, मानव निर्मित (बांध, मेंड निर्मित तालाब आदि)- 2,

कोड

7(2). यदि मद 7 (1) में कोड 2, अर्थात मानव निर्मित, तो प्रकार:

मिट्टी का- 1, ठोस- 2, चिनाई- 3, अन्य- 4,

कोड

8. निर्माण का वर्ष और मूल लागत (केवल मानवनिर्मित के लिए):

वर्ष

मूल लागत

(रु.)

9. नवीकरण/मरम्मत का वर्ष (सभी जल निकायों के लिए)

वर्ष

अंतिम मरम्मत की लागत

(रु.)

10. क्या जल निकाय मरम्मत/नवीकरण/पुनर्स्थापना के अधीन है?

हां - 1 नहीं - 2

कोड

i. यदि हाँ, योजना जिसके तहत पुनरुद्धार किया जा रहा है:

ii. योजना के तहत शामिल होने का वर्ष:

iii. पूरा होने का लक्षित वर्ष:

iv. अनुमानित लागत:

v. पुनरुद्धार सिंचाई क्षमता का लक्ष्य:

vi. सिंचाई क्षमता प्राप्ति:

वर्ष

वर्ष

(रु.)

हेक्टर

हेक्टर

11. जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में) (तीन दसमलव स्थान तक)

हेक्टर

12. पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई (मीटर में)

13. जल निकाय की भंडारण क्षमता (घन मीटर में)

मूल

वर्तमान

14. भरा हुआ भण्डारण (2017-18 के दौरान):

पूर्ण- 1, 3/4 तक- 2, 1/2 तक- 3, 1/4 तक- 4, शून्य / नगण्य भरा हुआ- 5

कोड

15. भण्डारण के भरने की स्थिति:

(गत 5 वर्षों के दौरान लगभग आधा भरने के आधार पर)

हर साल भरा- 1 सामान्य रूप से भरा- 2, कभी कभार भरा -3, कभी नहीं भरा- 4

कोड

16(1) लाभान्वित शहर/नगर/गांव की संख्या:

शहर/नगर

गांव

16(2) जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या:

संख्या

17(1). क्या जल उपयोग संगठन (WUA) का गठन किया गया है? (एकल स्वामित्व को छोड़कर): (हां - 1, नहीं - 2, मालूम नहीं-3)

कोड

17(2). यदि मद 17(1) में हाँ है अर्थात् कोड 1 है तो:

(अ) जल उपयोग संगठन द्वारा इस जल निकाय का कवर किया गया क्षेत्र: पूरा-1, कुछ हिस्सा-2

(ब) इस जल निकाय में कुल जल उपयोग संगठनों की संख्या:

कोड

कोड

18. क्या यह जल निकाय, जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) / राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) में शामिल है?

हां - 1, नहीं - 2

कोड

19(1). क्या जल निकाय के किसी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है:

हां - 1 नहीं - 2

कोड

19(2). यदि मद 19(1) में हाँ है तो क्या अतिक्रमण की मात्रा का आंकलन किया जा सकता है?:

हां - 1. नहीं - 2

कोड

19(3). यदि मद 19(2) में हाँ अर्थात् कोड 1 है: अतिक्रमित क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत:

%

कोई अन्य टिप्पणी (यदि हो):

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर:

पर्यवेक्षक का नाम:

पर्यवेक्षक का पदनाम:

मोबाइल नं. :

अन्वेषक का हस्ताक्षर:

अन्वेषक का नाम:

अन्वेषक का पदनाम:

मोबाइल नं.:

6ठी लघु सिंचाई गणना

संदर्भ वर्ष: 2017-18

अनुसूची-1: भूजल योजना

I. पहचान विवरण:

(क)राज्य: _____ कोड (ख)जिला: _____ कोड

(ग)खंड/ तहसील: _____ कोड (घ)ग्राम: _____ कोड

अनुसूची भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): - -

II. विशिष्ट जानकारी:

1. योजना की क्रम संख्या :

2. योजना का प्रकार:
कुआँ - 1, नलकूप- 2 कोड

3.1 यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है तो कुएं का प्रकार:
कुआँ कम-बोर वेल -1, पक्का कुआँ -2, कच्चा कुआँ- 3, अन्य-9 कोड

3.2 यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है तो नलकूप का प्रकार:
उथला नलकूप-1, मध्यम गहराई का नलकूप-2, गहरा नलकूप-3 कोड

4. योजना का स्वामी (नाम, एकल किसान के लिए) कोड

नाम _____

सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व - 2, पंचायती स्वामित्व - 3, किसानों के समूह का स्वामित्व - 4, एकल किसान का स्वामित्व - 5, अन्य - 9

5. (क) खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है: _____

(ख) स्थिति विवरण/ सीमाचिन्ह: _____

6. (क) स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (केवल एकल किसान के लिए) हेक्टर

(ख) स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए) कोड
अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जन जाति- 2, अन्य पिछड़ा वर्ग- 3, अन्य- 9

(ग) स्वामी पुरुष है या स्त्री? (केवल एकल किसान के लिए): पुरुष-1, स्त्री -2, किन्नर-3 कोड

7. योजना की स्थापना का वर्ष: कोड

2013-14 तक-1, 2014-15 के दौरान-2, 2015-16 के दौरान-3, 2016-17 के दौरान- 4, 2017-18 के दौरान- 5

8. योजना का विवरण:

(क) कुएं/नलकूप की गहराई (मीटर में): मीटर

(ख) व्यास (कुएं के लिए मीटर में एवम ट्यूबवेल के लिए मिलीमीटर में): मीटर

(ग) बोर की गहराई (मीटर में) (कुआँ कम-बोर वेल हेतु): मीटर

(घ) समीपवर्ती कुएं/ नलकूप की दूरी (मीटर में): मीटर

9. (क) योजना की निर्माण लागत: (रु.)

(ख) मशीनरी का मूल्य: (रु.)

(ग) वर्ष 2017-18 में मरम्मत पर व्यय: (रु.)

10. (क) वित्तपोषण के प्रमुख दो स्रोत (केवल एकल किसान के लिए): कोड

बैंक से ऋण - 1, सरकारी वित्तपोषण - 2, निजी बचत - 3, साहकार - 4, अन्य - 9 कोड

(ख) क्या कोई सरकारी/ सरकारी उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ? (सभी योजनाओं के लिये)

(i) योजना के निर्माण/ बोरिंग/ खुदाई हेतु: (रु.)

(ii) मशीनरी के मूल्य/ जल वितरण उपकरण हेतु: (रु.)

मौसम-वार सृजित सिंचाई क्षमता (आई पी सी)

22. खरीफ़					.			हेक्टर
23. रबी					.			हेक्टर
24. बारह मासी					.			हेक्टर
25. अन्य					.			हेक्टर
26. कुल					.			हेक्टर

वर्ष 2017-18 में मौसम-वार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (आई पी यू)

27. खरीफ़					.			हेक्टर
28. रबी					.			हेक्टर
29. बारह मासी					.			हेक्टर
30. अन्य					.			हेक्टर
31. कुल					.			हेक्टर

टिप्पणी: (i) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के क्षेत्र से बाहर है तो उपयोग की गई पूरी सिंचाई क्षमता (आईपीयू) देना है।

(ii) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के क्षेत्र में स्थित है तब आईपीयू में एम.आई. स्कीम द्वारा पूरक उपयोग को दर्शाना है। अर्थात सकल आईपीयू को मेजर / मध्यम और एमआई योजना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुपात में विभाजित किया जाना है।

32. (i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल प्रयोग में आ रही योजनाओं के लिए): कोड

(हाँ - 1, नहीं -2)

(ii) यदि हां, अर्थात मद 32(i) में कोड 1 है तो योजनाओं के कम उपयोग के कारण कोड

पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1 , यांत्रिक खराबी- 2 , पानी का कम रिसाव- 3,
धन की अनुपलब्धता- 4, रख रखाव की कमी- 5, कोई अन्य कारण- 9

टिप्पणी (यदि कोई हो):

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर:
पर्यवेक्षक का नाम:
पर्यवेक्षक का पदनाम:
मोबाइल नं. :

अन्वेषक का हस्ताक्षर:
अन्वेषक का नाम:
अन्वेषक का पदनाम:
मोबाइल नं.:

6ठी लघु सिंचाई गणना

संदर्भ वर्ष: 2017-18

अनुसूची-2: सतही जल योजना

I. पहचान विवरण:

(क) राज्य: _____ कोड (ख) जिला: _____ कोड

(ग) खंड/ तहसील: _____ कोड (घ) ग्राम: _____ कोड

अनुसूची भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष): - -

II. विशिष्ट जानकारी:

1. योजना की क्रम संख्या :

2. योजना का प्रकार: सतही प्रवाह योजना - 1, सतही उन्नयन (लिफ्ट) योजना- 2 कोड

3.1 यदि मद संख्या 2 में कोड 1 है तो सतही प्रवाह योजना का प्रकार: कोड
जलाशय -1, हौज़/ तालाब -2, अन्य जल भंडार - 3, स्थाई विपथन -4, अस्थायी विपथन -5,
जल संरक्षण-कम-भूजल पुनर्भरण योजना / जलरिसाव हौज़/ चेक डैम आदि -6, झरना प्रवाह -7, अन्य - 9

3.2 यदि मद संख्या 2 में कोड 2 है तो सतही उन्नयन योजना का प्रकार: कोड
नदी पर -1, धारा पर -2, नाले/ नहर पर -3, हौज़/तालाब/जलाशय/चेक डैम आदि पर -4, अन्य -9

4. योजना का स्वामी (नाम, एकल किसान के लिए) कोड
नाम _____
सरकारी स्वामित्व - 1, सहकारी स्वामित्व - 2, पंचायती स्वामित्व - 3, किसानों के समूह का स्वामित्व - 4,
एकल किसान का स्वामित्व - 5, अन्य - 9

5. खसरा सं /प्लॉट सं./सर्वे. सं. जहाँ योजना स्थित है: _____

6. (क) स्वामी का समग्र भू-स्वामित्व (केवल एकल किसान के लिए) हेक्टर

(ख) स्वामी का सामाजिक वर्ग (केवल एकल किसान के लिए) कोड
अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जन जाति- 2, अन्य पिछड़ा वर्ग- 3, अन्य- 9

(ग) स्वामी पुरुष है या स्त्री? (केवल एकल किसान के लिए): पुरुष-1, स्त्री-2, किन्नर-3 कोड

7. योजना की स्थापना का वर्ष: कोड
2013-14 तक-1, 2014-15 के दौरान-2, 2015-16 के दौरान-3, 2016-17 के दौरान- 4, 2017-18 के दौरान- 5

8. (क) योजना की निर्माण लागत: (रु.)
(ख) मशीनरी का मूल्य: (रु.)
(ग) वर्ष 2017-18 में मरम्मत पर व्यय: (रु.)

9. (क) वित्तपोषण के प्रमुख दो स्रोत (केवल एकल किसान के लिए): कोड
बैंक से ऋण - 1, सरकारी वित्तपोषण - 2, निजी बचत - 3, साहकार - 4, अन्य - 9: कोड

(ख) क्या कोई सरकारी/ सरकारी उपक्रम से अनुदान/ सहयोग प्राप्त हुआ? (सभी योजनाओं के लिये)
(i) योजना के निर्माण/ बोरिंग/ खुदाई हेतु: (रु.)
(ii) मशीनरी के मूल्य/ जल वितरण उपकरण हेतु: (रु.)

मौसम-वार सूचित सिंचाई क्षमता (आई पी सी)

21. खरीफ
22. रबी
23. बारह मासी
24. अन्य
25. कुल

										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.

वर्ष 2017-18 में मौसम-वार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (आई पी यू)

26. खरीफ
27. रबी
28. बारह मासी
29. अन्य
30. कुल

										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.
										हेरे.

टिप्पणी: (i) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के क्षेत्र से बाहर है तो उपयोग की गई पूरी सिंचाई क्षमता (आईपीयू) देना

*(ii) यदि स्कीम वृहत/ मध्यम जल परियोजना के क्षेत्र में स्थित है तब आईपीयू में एम.आई. स्कीम द्वारा पूरक उपयोग को दर्शाना है। अर्थात सकल आईपीयू को मेजर / मध्यम और एमआई योजना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुपात में

31. (i) क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? (केवल प्रयोग में आ रही योजनाओं के लिए): हां -1 नहीं - 2 कोड
 (ii) यदि हां अर्थात मद 31(i) में कोड 1, तो योजना के कम उपयोग का कारण: कोड
 पर्याप्त ऊर्जा/ ईंधन की कमी- 1, यांत्रिक खराबी- 2, पानी का कम रिसाव- 3, भंडारण पूरा नहीं भरा -4
 नहर/ भंडारण में गाद- 5, नालियों की टूट फूट -6, कोई अन्य कारण- 9,

32. योजना द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या:

33. जलाशय, हौज़, अन्य भंडार के विशेष विवरण:
 (क) अभिकल्पित क्षमता (घन मीटर में):

(ख) भरा हुआ भण्डारण (2017-18 के दौरान): कोड
 पूर्ण- 1, 3/4 तक- 2, 1/2 तक- 3, 1/4 तक- 4, शून्य / नगण्य भरा हुआ- 5

(ग) भण्डारण के भरने की स्थिति: कोड
 (गत 5 वर्षों के दौरान लगभग आधा भरने के आधार पर)
 हर साल भरा- 1, सामान्य रूप से भरा- 2, कभी कभार भरा -3, कभी नहीं भरा- 4

34. जल निकाय से संबंधित विशिष्ट सूचना:
 (क) जल निकाय अनुसूची के अनुसार 21 अंकों का जल निकाय क्रमांक जिसमें यह योजना चल रही है।

आर/यू	राज्य	जिला	तहसील/नगर/ब्लॉक	ग्राम/बाई	क्र. सं.

(ख) उपरोक्त जल निकाय में गांव में कुल योजनाओं की संख्या
 (ग) जल निकाय में गांव में इस योजना की क्रम संख्या

टिप्पणी (यदि कोई हो):

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर:
 पर्यवेक्षक का नाम:
 पर्यवेक्षक का पदनाम:
 मोबाइल नं. :

अन्वेषक का हस्ताक्षर:
 अन्वेषक का नाम:
 अन्वेषक का पदनाम:
 मोबाइल नं.:

